<u>अति-महत्वपूर्ण</u>

(संसदीय राजभाषा समिति मामला)

सं. रा.भा.5(14)/आश्वासन-अनु.कार्र./2014/75
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
राजभाषा विभाग,
समाहर्तालय,
दीव.

दिनांक :- 10/07/2014.

प रि प त्र / CIRCULAR

विषय : <u>विभागीय बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों आदि की कार्यसूची/टिप्पणियां/कार्यवाही/ कार्यवृत्त आदि द्विभाषी में तैयार करना.</u>

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति को दिये गए आश्वासन के आलोक में दीव जिला स्थित सभी सरकारी कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों को मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि कार्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले सेमिनारों, सम्मेलनों, बैठकों आदि की टिप्पणियां/कार्यवाही/कार्यसूची/ कार्यवृत्त आदि द्विभाषी में तैयार किये जाएंगे ।

अतः इस संबंध में आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने कार्यालयों में उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करें । यदि इन कार्यों के निपटान में किसी तरह की कठिनाई आती हो, तो राजभाषा विभाग, दीव से संपर्क करें ।

(डॉ. अनिल कौशिक)
सहायक निदेशक (रा.भा.)/
सदस्य सचिव, रा.का.स., दीव.

सेवा में,

सभी कार्यालय प्रमुख,
दीव जिला प्रशासन, दीव.

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :-</u>

1. माननीय प्रशासक के स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण.
2. सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव, दमण.
3. समाहर्ता एवं जिलाधीश/अध्यक्ष, रा.का.स., दीव.
4. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
5. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नवी मुम्बई.
6. सहायक निदेशक (रा.भा.) (मुख्यालय), राजभाषा विभाग, दमण.
7. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, दीव (वेबसाइट पर प्रकाशित के लिए अनुरोध सहित).